

पत्रांक 774/ नौगोंव बुकण्डी/वनभूमि
रोदा में

दिनांक 28/12/2020

अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड
देहरादून।

विषय :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल में नौगोंव बुकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.86 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं० 08बी०/यू०सी०पी०/०६/४८/२०१५-एफ०सी०/२७६५ दिनांक २६.०२.२०२०

महोदय,
उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगोंव बुकण्डी मोटर मार्ग निर्माण हेतु ४.८६ है० सिविल वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन बिन्दुवार निम्न प्रकार है।

क्रम सं०	अधिरोपित शर्त	अनुपालन
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	मान्य है।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	मान्य है।
3. प्रतिकपूर्क वनीकरण		
क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 9.72 है० गैर वानिकी भूमि ग्राम भेलुङ्गा प्रतिपूर्क वनीकरण किया जाएगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	मान्य है।
ख	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूर्क वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की कार्यवाही पूर्ण करते हुये रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर दी गयी है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित उच्च स्तर से किया जाना है।
4	प्रतिपूर्क वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूर्क वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूर्क वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	मान्य है। जमा कर दिया गया है।
5. शुद्ध वर्तमान मूल्य		
क	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (c) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 01.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रोंक 5-1/1198-एफ०सी० दिनांक 18.09.2003, 5-/2006-एफ०सी० दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 5.2731 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	मान्य है।
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	मान्य है। (वचन पत्र संलग्न है।)
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 172 होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	मान्य है।
7	State Govt. will submit the DFO's Site Inspection Report of proposed road and CA in original	प्रस्ताव के साथ पूर्व में संलग्न है।

8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल के https://parivesh.nic.in/ माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	जमा कर दिया गया है। (संलग्न है।)
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफ0आर0ए0 संलग्न है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईसारसी मादंडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	मान्य है।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	मान्य है।
12	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिसों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	मान्य है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	मान्य है।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रामिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	मान्य है।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरी की राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	मान्य है।
17	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	मान्य है।
18	परियोजना कार्य के निष्ठादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	मान्य है।
19	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	मान्य है।
20	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	मान्य है।
21	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	मान्य है।
22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल सं0 11-42/2017-एसी0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाही होगी।	मान्य है।
23	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	मान्य है।
24	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जाएगी।	मान्य है।

अतः आपके संज्ञान में लाना है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु आवश्यक सैदान्तिक स्वीकृति में अधोरोपित सभी शर्तों का अनुपालन विभाग द्वारा किया जा चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से उच्चाधिकारियों को सूचित करने का कष्ट करें एवं मोटर मार्ग पर स्थित पेड़ों के छपान एवं कटान की कार्यवाही अपने स्तर से करवाने का कष्ट करें। जिससे मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कराया जा सके।

संलग्न:- 1. भुगतान की प्रति
2. उपरोक्तानुसार प्रपत्र।

(राजेश कुमार)
अधिशाली अभियन्ता

पत्रांक 774/ नौगाँव बुकण्डी/वनभूमि तददिनांक
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- 1.-वन संरक्षक शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण, वन प्रभाग लैन्सडौन।
4. सहायक अभियन्ता - षष्ठम सिंचाई खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0 कोटद्वार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)

F.R.A

प्रपत्र - 23.3

परियोजना का नाम:- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगाँव भुकण्डी मोटर मार्ग के कि०मी० 15.00 से कि०मी० 21.100 के अन्तर्गत सिविल भूमि 4.86 है० का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण- पत्र

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगाँव बुकण्डी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.86 है० वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

द्वारा प्रति सत्यापित
02/02/2021
सहायक अभियन्ता IV
पी०एम०र्ज० न०वाई०सि०ख०
कोटद्वार (गढ़वाल)

13.10.14
जिलाधिकारी

नोट- वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वाछित समस्त सूचनायें प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0-सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)।

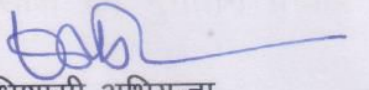
Phone : 01382- 224570
Phone : 01382- 229847
Fax : 01382- 229847
Email: eepmgsykotdwara@rediffmail.com

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल में नौगाँव बुकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (4.86 है०) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

बचनवद्धता प्रमाण पत्र

जनपद पौड़ी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में नौगाँव बुकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (4.86 है०) सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण में सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ जहाँ सम्भव होगा के दोनो किनारो तथा Central Verge पर Strip Plantation की जायेगी।


सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)


अधिशाली अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

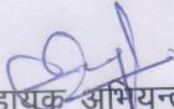
कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0-सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)।

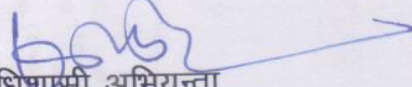
Phone : 01382- 224570
Phone : 01382- 229847
Fax : 01382- 229847
Email: eepmgsykotdwara@rediffmail.com

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल में नौगाँव बुकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (4.86 है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने/वचन बद्धता का प्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)


अधिशाली अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

Online payment history made by User Agency under CAMPA



Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid / Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/8123/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/8123/2014) Construction of Naugaoan Bukundi Motor Road Km 15.00 to 21.00	ROAD81232014278	6181230278	26 Feb 2020	CA: 3277428/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 3193020/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 6470448/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by : 30 Jun 2020 Nodal Officer : On : Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated : 01 Jul 2020 On : Transaction Date : 08 Oct 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/6112912491216VOI25CamScanne.pdf.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD81232014278)
2	FP/UK/ROAD/11139/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11139/2015) Mastkhal to Sila Danda Motor Road	ROAD111392015577	6111139577	09 Oct 2019	CA: 1394716/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 1923375/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3317091/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by : 16 Nov 2019 Nodal Officer : On : Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated : 18 Nov 2019 On : Transaction Date : 10 Dec 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/11111512151210DAFS1shiladanda_demand.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD111392015577)

रिजिस्ट्रार, अखिल भारतीय किसान सभ (राष्ट्रिय) (राष्ट्रिय)

आदेश

उपजिलाधिकारी यमकेश्वर ने अपने पत्र संख्या-166/20का0/2018-19 के द्वारा अपनी जांच आख्या से अवगत कराया है कि अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०-सिंचाई खण्ड कोटद्वार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्राम नौगांव-बुकण्डी मोटर मार्ग पर कि०मी० 15.00 से 21.00 कि०मी० के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 9.720 हे०राज्य सिविल भूमि विधिवत रूप से वन विभाग के नाम हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रकरण में उपजिलाधिकारी यमकेश्वर ने अपनी आख्या से अवगत कराया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव-बुकण्डी मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक स्थल हेतु 9.720 हे० भूमि अभिलेखों के आधार पर स्थलीय जांच की गई। ग्राम बुकण्डी में क्षतिपूरक स्थल हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, जिस कारण उसके स्थान पर ग्राम भेलदुंगा पट्टी उदयपुर तल्ला, तहसील यमकेश्वर में नॉन०जे०ड०ए० खतौनी खाता संख्या- 05 मध्ये खसरा संख्या- 635 मध्ये 9.720 हे० भूमि कि श्रेणी-9(3) इ अन्य खेती योग्य बंजर भूमि प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण वन विभाग के वन क्षेत्राधिकारी गौहरी रेंज, राजस्व विभाग एवं पी० एम० जी० एस०वाई०-सिंचाई खण्ड कोटद्वार के द्वारा किया गया, चयनित भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने हेतु उपयुक्त पायी गई है।

1- प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक उपयोग, चारागाह, गौचर, पनघट, कब्रिस्तान आदि की भूमि नहीं है।

जनपद गढ़वाल के तहसील यमकेश्वर के ग्राम भेलदुंगा पट्टी तल्ला उदयपुर तहसील यमकेश्वर में नॉन०जे०ड०ए० खतौनी खाता संख्या- 05 मध्ये खसरा संख्या- 635 मध्ये 9.720 हे० भूमि कि श्रेणी-9(3) इ अन्य खेती योग्य बंजर भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

II कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल !!
संख्या-452 /8-एल०ए०सी०-(2020-2021) दिनांक पौड़ी नवम्बर 20, 2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, राजस्व अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०-सिंचाई खण्ड कोटद्वार।
- 5- उपजिलाधिकारी, यमकेश्वर।
- 6- प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण, लैन्सडोन वन प्रभाग कोटद्वार।

02/02/2021
सहायक अभियन्ता IV
पी०एम०जी०एस०वाई०-सिंचाई
कोटद्वार (गढ़वाल)

LR-
(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

नाम रक्ताना NON.Z.A

ज - जलदुंगा,

परी - ५०५ पु. ३००, त. ३०० - ३०० ३०० ३००

मधोपय नेकुलं डालल से की गयी है.

दायाद्वि रत्नापि

सहायक अभियंता या
पी०एम०जी०एम०वाई०सि०ख०
बंगलूर (गढ़वाल)

उत्तराखण्ड NON 2-A खेतीनी नक़्सा

ग्राम- मेल्डुंग पडरी तहसील डवडापुर तहसील- जमकेबर जिला- पौड़ी गढ़वाल

क्र.सं.	खेतीनी खेतीनी	खेतीदार या कृषि या जगह किता या नाम जिगाह सन्धान	खेती नं.	क्षेत्रफल	लोक	अन्य विवरण
5	5	खेती 5 (2) डा बंगर	635	10.337	पल्लवा	

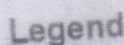
नोट :- इसका क्र. 635 के प्रत्ये 9.72 हेक्टर में प्रतिवर्ष कीलक
वृक्षारोपण में उपयुक्त विभिन्न उद्देश्यों की शर्तों के अन्तर्गत
को इस्तेमाल हो, नक़्सा बनाई की गई है।

तहसीलदार
जमकेबर (पल्लवा)

सहायक अभियंता
पौड़ी गढ़वाल

हस्ताक्षर सत्यापित
02/02/2021
सहायक अभियंता या
पी.एम.डी. (पल्लवा) सि.ख.
कोटवाल (गढ़वाल)

0 0.5 1 1.5 Km



Reserve Forest

Reserve Forest Boundary

Forest Range Boundary

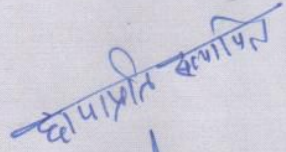
Forest Division Boundary

वन क्षेत्राधिकार

गोहरी आभयता

सहायक अभियन्ता
प्री. एम्. जी. एस. वाडी (सिनाई)
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

10/11/2019



सहायक अभियंता VI
पी०एम०पी०सी०ई०सि०ख०
कोटद्वार (गुवावल)

Mar.
J.E.

the

जिलाधिकारी

मकुवाल

Legend

- GPS Points

Proposed Land

वन क्षेत्राधिकारी
मोहरी रेंज

22/11/2021

78°22'30"E